संख्या-यू0अ0-144/नौ-1-10-43का0/94

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1. निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम ।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत ।
उत्तर प्रदेश ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 10 दिसम्बर, 2010

विषय:- रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-319/2006 नेशनल कम्पेन कमेटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक-18.01.2010 के अनुपालन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में श्रम अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप सं0 302/36-2-2010-10/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 जिसके द्वारा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 एवं उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2009 के नियम 275 और 276 के अन्तर्गत भवन एवं सन्निमार्ण के लाभार्थी स्वरूप पंजीयन की व्यवस्था को प्रदेश में प्रभावी कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी एवं अपर/उप नगर आयुक्त एवं उनके नियंत्रणाधीन अभियंत्रण विभाग के अवर/सहायक अभियंता को प्राधिकृत पंजीकर्ता अधिकारी नामित किया गया है ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-26 मार्च, 2010 द्वारा निर्गत आदेशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, प्रकरण में प्रगति से क्षेत्रीय श्रम कार्यालयों को नियमित रूप से उपलब्ध कराते हुए, इसकी सूचना शासन (नगर विकास विभाग तथा श्रम विभाग उ0प्र0 शासन) को भी देने का कष्ट करें । प्रकरण मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से आच्छादित है, अतएव व्यक्तिगत ध्यान देते हुए कृपया कार्यवाही की जाये ।

भवदीय,

आलोक रंजन
प्रमुख सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ को श्रम विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप दि0-26-03-10 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से भी आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/श्रम विभाग ।
4. निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, नगर विकास विभाग ।
5. श्रम अनुभाग-2
6. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(डी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव ।